प्रेस विज्ञप्ति

21.08.2025

माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश ने अपने दिनांक 20.08.2025 के आदेश द्वारा, अभियुक्तगण श्रीमती विनीता गौड़, शिशिर गौड़ और श्रीमती सुनीता गौड़ को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उपर्युक्त प्रत्येक अभियुक्त पर 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मुख्य अभियुक्त स्वर्गीय सूर्यकांत गौड़ का इस मामले की सुनवाई के दौरान निधन हो गया।

विद्वान न्यायालय ने आदेश दिया कि यह संदेह से परे साबित हो चुका है कि आरोपीगण–शिशिर गौड़, विनीता गौड़ और सुनीता गौड़–ने मृतक आरोपी सूर्यकांत गौड़ द्वारा भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति/आय को जानबूझकर बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह माना गया कि उक्त आरोपी व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की ऐसी आय (पीओसी) को छिपाने, रखने, प्राप्त करने और उपयोग करने में शामिल थे; उन्होंने जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में सहायता की और पक्ष बने, और पीओसी को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया, जबकि ऐसी धनराशि को वैध होने का दावा भी किया। ऐसा करके, आरोपी व्यक्तियों ने पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन का अपराध किया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए), 1988 की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत सीबीआई, जबलपुर द्वारा दर्ज एफआईआर को ध्यान में रखते हुए 2011 में जांच शुरू की।

स्वर्गीय सूर्यकांत गौड़, रक्षा लेखा नियंत्रक (सीडीए), जबलपुर के बिल प्रसंस्करण अनुभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनकी ज़िम्मेदारियों में भविष्य निधि (पीएफ) बिलों का प्रसंस्करण, दावेदारों के नाम पर चेक तैयार करने की व्यवस्था करना और सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उनका वितरण सुनिश्चित करना शामिल था। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, वैध पीएफ खाताधारकों के लिए निर्धारित धनराशि को धोखाधड़ी से अपने, अपने परिवार के सदस्यों और अपने सहयोगियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2005 और जुलाई 2010 की जाँच अवधि के दौरान, उन्होंने 90,85,901/- रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक थी, और अनुपातहीन संपत्ति अनुपात 304.86% था।

जाँच के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने 28.03.2013 के वेतन आदेश के तहत 50,38,678/- रुपये मूल्य की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया, जिसकी पुष्टि बाद में विद्वान न्यायनिर्णयन प्राधिकरण पीएमएलए, नई दिल्ली के द्वारा की गई। इसके बाद, इस मामले में माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश के समक्ष दिनांक 21.03.2014 को एक अभियोजन शिकायत दायर की गई।